# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

**अपील संख्या 86/2019**

गीता भवन ट्रस्ट मुर्रकी जरिये ट्रस्टीगण

1. विजयसिंह पुत्र लटूर आयु 57 साल जाति गूजर
2. सूरजभान पुत्र गोरधन आयु 40 साल जाति जाटव
3. निहाल सिंह पुत्र किशन सिंह गूजर आयु 38 साल जाति गूजर
4. रनसिंह पुत्र श्री लटूर आयु 55 साल जाति गूजर
   निवासीयान ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

**बनाम**

1. रजोले रघुनाथ आयु 48 साल
2. बाबूल पुत्र रघुनाथ आयु 44 साल
3. वेदरिया पुत्र रघुनाथ आयु 38 साल
4. दानकौर पत्नी रघुनाथ आयु 76 साल
   जातियान गूजर निवासीयान ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2011 तहसीलदार बयाना बाबत इन्तकाल नम्बर 363 वाकै ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री रमनलाल, अभिभाषक अपी0.
2–श्री संजय कुमार, रैस्पो0

**निर्णय**

दिनांक 29.01.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 21.03.2011 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में हुकमन नामान्तरकरण संख्या 363 ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 363 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 21.03.2011 ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख) बयाना के आदेश दिनांक 17.02.2011 की पालना में निर्णय/डिक्री के आधार खोला गया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) बयाना के दावा नम्बरी 08/2010 रजोले वगैरा बनाम गीता भवन ट्रस्ट बयाना में तारीख 26.10.2010 को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया था और राजीनामा में दानपत्र तारीख 20.01.1982, तारीख 21.01.1982 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की लेकिन न्यायालय ने दान पत्र को निरस्त करने का निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया इसके विपरीत दान पत्र गीता भवन ट्रस्ट मुर्रकी को किया गया था जबकि दावा व राजीनामा गीता भवन ट्रस्ट बयाना के विरूद्व पेश किया गया था। इसलिये इस राजीनामा व डिक्री के अधार पर दानपत्र दिनांक 21.01.1982 को निरस्त करने का निर्णय नहीं हुआ है एवं गीता भवन ट्रस्ट मुर्रकी के विरूद्व भी कोई निर्णय व डिक्री नहीं हुई है। गीता भवन ट्रस्ट मुर्रकी के विरूद्व भी कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं होने से उसका नाम निरस्त करना पूर्णतः अवैध व अनाधिकार है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि दानपत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज थी और अपीलान्ट ट्रस्ट ने जन सहयोग से गीता भवन हनुमान जी मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर, शनिदेव मंदिर व चारो ओर से पुख्ता बाउण्ड्रीबाल के लिये कई लाख रूपये खर्च किये है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में है और भव्य मंदिर बना हुआ है। इसलिये गीता भवन ट्रस्ट मुर्रकी का नाम कलमजन कर रैस्पो0 के नाम दर्ज करना पूर्णतः अवैध है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूमि पर सडक आम 30 फुट चौडाई, मंदिर व धर्मशाला व गौशाला आदि बने हुये है और रैस्पो0 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कब्जे में सन् 1982 से रही है और न कभी काश्त हुई है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

वकील रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपील विरूद्ध नामान्तरकरण गलत तथ्यों पर पेश की है जो हर हालत काबिल खारिजी है। अपीलान्ट गीता भवन के ट्रस्टी नहीं है और अपने को गलत रूप से ट्रस्टी बता रहे है। अपीलान्ट संख्या 1, 3, 4 सगे भाई है व एक ही परिवार के सदस्य है। चारो अपीलान्ट का कभी गीता भवन ट्रस्ट से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। ट्रस्ट की ओर से दस व्यक्तियों से कम दावा अथवा अपील नियमानुसार पेश करने के अधिकारी नही है। इसलिये अपील कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है ना ही उक्त चारों अपीलान्टों को अपील दायर करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 690 बग 13/232 हिस्से का अँगूरी पत्नी बाबूलाल जाटव निवासी मुर्रकी व 25/92 हिस्से को रामकली पत्नी रामस्वरूप जाटव निवासी मुर्रकी व खसरा नम्बर 685 में से 3/32 हिस्सा को भूपेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह गूर्जन निवासी महलौनी खसरा नम्बर 690 के 2/25 हिस्से को रूपदेई पत्नी मंगतू, सुनीतापत्नी अतरसिह जाति जाटव खसरा नम्बर 684 के 233/333 हिस्से को पवनदेई पत्नी हरिकिशन धोबी निवासी अम्वा टाकीज के सामने बयाना तथा खसरा नम्बर 686 में से 1/3 हिस्से को रमेशचन्द पुत्र धर्मी गूजर निवासी मुर्रकी को एवं खसरा नम्बर 685 के 0.48 भाग को प्रेमवती पत्नी विरजू व गीतादेवी पत्नी अमरसिंह धोवी निवासी सुनार गली बयाना को सन् 2011 से 2014 की अवधि में बिकय किया था जिनकी तत्समय ही राजस्व रिकार्ड में विकय के आधार पर खरीददारों के हक में नामान्तरकरण हो चुके थे इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात में से रैस्पो0 द्वारा भूरा पुत्र मोती, सोहनसिंह पुत्र परमोली, गिरधारी व नन्दर पिसरान जयराम व मिथलेश पत्नी प्रकाश व्यक्यिों को विवादित आराजीयात मे से भूमि विकय कर बिकयपत्र पंजीकृत कराये गये थे जिनकी जानकारी अपीलान्ट को तत्समय से ही भलीभाति है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई और म्याद बाहर पेश करने का कोई कारण भी अपील में अंकिन नहीं किया है ना ही डिले को कण्डोन कराने का कोई विधिक प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश नहीं किया गया है। इसी विनाय पर अपील खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 21.03.2011 ग्राम मुर्रकी तहसील बयाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

का अवलोकन किया गया है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 363 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राजों से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना के आदेश की अनुपालना में खोला जाकर रैस्पो0 के हक में स्वीकार किया गया है। तहसीलदार बयाना ने नामान्तरकरण माननीय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना के आदेश की अनुपालना में खोला जाकर स्वीकार किया है। विद्वान वकील अपीलाण्ट की प्रमुख आपत्ति यह है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0 ख0) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2010 में दानपत्र तारीख 20.01.1982 पंजीबद्ध तारीख 21.01.1982 को निरस्त करने बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है। यदि अपीलान्ट को माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय पर कोई आपत्ति थी तो तत्समय ही सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2010 में रजोले,बाबू बेजरिया पुत्रान रघुनाथ निवासी मुर्रकी बयाना एवं गीता भवन ट्रस्ट बयाना जरिये डॉ0 अनन्त कुमार पुत्र आनन्द नारायण दोनो पक्षो के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। एवं राजीनामें में दानपत्र तारीख 20.01.1982 को निरस्त किये जाने का अंकन है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में तहसीदार बयाना ने कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)